Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 05-12-2006

Participants : Yadav Shri Devendra Prasad

an>

Title: Alleged incident of an atrocity committed against a minority community in Sasaram, Bihar.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान लोक-महत्व के बहुत संवेदनशील और चिन्ताजनक विाय की ओर आकृट करना चाहता हूँ। सासाराम जिला मुख्यालय के कबीरगंज मुहल्ले में 2 दिसंबर, 2006 की मध्य रात्रि में एक रिक्शा चालक नन्हू खां तथा उनकी पत्नी को हाथ-पैर बांधकर दबंग लोगों ने जिन्दा जला दिया। इतना ही नहीं, प्र ोफेसर पापिया घोा, जो पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थीं। जब वह नौकरानी के साथ सोयी हुई थीं, रात को जाकर उनकी हत्या करके उनका सामान भी लूट लिया गया। अब वहां हालत यह है कि...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please do not refer to the State matter here.

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I am myself doing it. Why are you getting up? I will not allow State matters to be raised here. No law and order matter in a State should be raised here. I will not allow it.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, नन्हू खां के परिवार में चार लड़के और दो लड़कियां हैं।...(व्यवधान)नन्हू खां के परिवार में चार लड़के और दो लड़कियां तथा असमर्थ वृद्ध माता हैं। आज स्थिति यह है कि वे भुखमरी की कगार पर हैं क्योंकि कमाने वाला एक रिक्शा चालक था। इस घटना से चारों तरफ अल्पसंख्यक समाज में गलत संदेश गया है। वे लोग भयभीत हैं और उनमें असुरक्षा का भाव बना हुआ है। ...*...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, इसके लिए मैंने भी नोटिस दिया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको सही समय पर अवसर मिलेगा।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :महोदय, ...* मैं केन्द्र सरकार से इसकी जांच करवाने की मांग करता हूँ। केन्द्र सरकार राज्य सरकार से इसकी रिपोर्ट लेकर सदन में रखे और इसकी सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग करता हूँ। ...*...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded. I will delete it myself.

*(Interruptions) ...***

MR. SPEAKER: Now, Shri L. Rajagopal.

... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You are not Shri Rajagopal.

... (*Interruptions*)

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, यह मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है, मैंने इसके लिए नोटिस दिया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, आप क्यों बोल रहे हैं।

(व्यवधान)... *

---

*Not recorded

** Expunged as ordered by the Chair

अध्यक्ष महोदय :आप लोग नहीं चाहते हैं कि हाउस चले।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing is being recorded. Why are you shouting? Law and order in a State cannot be discussed here. I would not allow.

Now, Shri L. Rajagopal.

*(Interruptions) ...**

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): Sir, I would like to raise a very important issue… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: So long as I am here, I would not allow the State matters, the law and order situation of a State to be discussed in this House.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Sorry, I would not allow.

… (*Interruptions*)

श्री राम कृपाल यादव :आप हर रोज अनुमति देते हैं।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं है।

श्री राम कृपाल यादव : आपने अभी पंजाब के सदस्यों को भी अनुमति दी थी और ढींढसा जी ने अपनी बात कही थी।

अध्यक्ष महोदय:वह दूसरा मामला था।

…(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Only submission made by the hon. Member regarding forest land will go on record. Everything else would be deleted from the records.

*(Interruptions) ...**

MR. SPEAKER: Very well, you do not want the House to run. I wanted to take up some matters, but you are disturbing the House.

… (*Interruptions*)

---

*Not recorded

MR. SPEAKER: The House stands adjourned till 2 p.m.

12.55 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen

of the Clock.

14.02 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at two minutes past

Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up Item No.14, Matters under Rule 377. I think they may be laid on the Table of the House. बहुत ज्यादा बिजनैस है।

डॉ. राजेश मिश्रा (वाराणसी): सर, मुझे 377 पढ़ने का मौका दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके मंत्री साहब ही 377 ले करने के लिए रिक्वैस्ट कर रहे हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सर, हमें भी मौका दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : एक को मौका देंगे तो सभी को देना पड़ेगा। ठीक है, श्री जीवाभाई ए. पटेल।